सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 270 राँची, गुरुवार, 19 जून, 2025 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 जून, 2025

संख्या-एल०जी०-02/2021-23/लेज०,--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक-29/05/2025 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

" **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021**

(झारखण्ड अधिनियम- 07, 2025)

झारखण्ड राज्य में प्रयोज्यता हेत "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" में संशोधन के लिए एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्रवे वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

(1) इस अधिनियम का नाम "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021" कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (जिसे एतद पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के धारा 4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगाः -

"धारा 4. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगा।''

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द "सेवन'' से धूम्रपान और तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद के थूकने से अभिप्रेत है।

3. मूल अधिनियम में धारा 4 के बाद, निम्न धारा को अन्तःस्थापित किया जाएगा -

"धारा 4अ. कोई भी व्यक्ति, स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए, किसी भी स्थान पर, जिसमें सार्वजनिक खान-पान का स्थान भी शामिल है, हुक्का बार नहीं खोलेगा।''

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, शब्द "हुक्का बार'' से ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ कोई व्यक्ति, सामुदायिक या व्यक्तिगत तौर पर हुक्का या नार्गिल का सेवन करने अथवा धुम्रपान हेतु एकत्रित होते हैं अथवा जहाँ हुक्का प्रदान किया जाता है, अभिप्रेत है।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के लिए निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"धारा 6: कोई भी व्यक्ति -

(क) जो इक्कीस वर्ष से निम्न आयु का है उसको सिगरेट या अन्य कोई भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा, या

(ख) किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और न्यायालय के सौ मीटर की परिधि के भीतर, सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा, या

(ग) सिगरेट या अन्य कोई भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला सिगरेट अथवा खुला पैकेट में, नहीं देगा।"

5. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप- धारा (1) में, शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल अधिनियम में धारा 21(2) के बाद, निम्न धारा को अन्तःस्थापित किया जायेगा-

"धारा 21(3). हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड -कोई भी व्यक्ति जो धारा 4अ का उल्लंघन करता है, कारावास जिसकी अवधि तीन (3) वर्ष की हो सकेगी, लेकिन जो एक (1) साल से कम नहीं होगी तथा जुर्माना, जो कि एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, लेकिन पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा"

7. मूल अधिनियम में धारा 24 की उप- धारा (1) में शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. मूल अधिनियम की धारा-27 के लिए, निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा जो इस प्रकार हैः-

"27-अपराध जमानती और संज्ञेय होंगे-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानो के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध, जमानती होगा।

(2) किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 4अ, 5 और 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।"

9. मूल अधिनियम में धारा 28 की उप- धारा (1) में शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नीरज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 जून, 2025

संख्या- एल०जी०-02/2021-24/लेज०--झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-29/05/2025 को अनुमत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Cigarettes And Other Tobacco Products (Prohibition Of Advertisement And Regulation Of Trade And Commerce, Production, Supply And Distribution) (Jharkhand Amendment) Act, 2021

(Jharkhand Act, 07, 2025)

An Act to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 in its application to the State of JHARKHAND.

Be it enacted in the Seventy Sixth Year of the Republic of India by the Jharkhand Legislative Assembly as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-

    (1) This Act may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (JHARKHAND Amendment) Act, 2021.

    (2) It shall extent to the whole State of Jharkhand.

    (3) It shall come into force on such date as the State Government, by notification in the official gazette, appoint.

2. In the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Principal Act"), for section 4, the following shall be substituted, namely:-

“Section 4. No person shall use any tobacco products in any public place.

Explanation-For the purpose of this section, the word “use” shall include, smoking and spitting of tobacco/tobacco product.

3. In the Principal Act, after Section 4, the following Section shall be inserted namely:-

   "Section 4A. No person shall either on his own or behalf of any other person shall open or run any hookah bar in any place including eating house."

   Explanation: For the purpose of this section, the word “hookah bar” means an establishment where people gather to smoke tobacco from a communal hookah or narghile which is provided individually;

4. In the Principal Act, for section 6, the following section shall be substituted namely:-

   “Section 6 : No person shall-

   (a) Sell, offer for sale, or permit sale of, cigarettes or any other tobacco products to any person who is under twenty-one (21) year of age, or

   (b) Sell, offer for sale, or permit sale of, cigarettes or any other tobacco products in an area within radius 100 (100) meter of any educational institution, hospital, health institution, public office and court, or

   (c) Sell, offer for sale, or permit sale of, cigarettes or any other tobacco products loose or in single sticks.

5. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words, “two hundred rupees” the words, “one thousand rupees” shall be substituted.

6. In the Principal Act after section 21(2), the following section shall be inserted, namely-

   “Section 21(3). Punishment for running hookah bar. - Whoever contravenes the provisions of Section 4A, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years but which shall not be less than one year and with fine which may extend to one lakh rupees but which shall not be less than fifty thousand rupees.”.

7. In section 24 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words, “two hundred rupees” the words “one thousand rupees” shall be substituted.

8. In the Principal Act, for section 27, the following section shall be substituted namely:-

“27. Offences to be cognizable and bailable:-

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence punishable under this Act shall be bailable.

(2) For the avoidance of doubts, it is hereby declared that offences punishable under section 4A, 5 and 7 of this Act shall be cognizable.”

9. In section 28 of the Principal Act, in sub-section(1), for the words, “two hundred rupees” the words, “one thousand rupees” shall be substituted.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नीरज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 270 - 50